राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्र० 24(12)सप्र/2/2012 जयपुर दिनांक 6-12-12

समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलेक्टर।

दिनांक 13.12.2012 को वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर
आयोजित कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देश

इस विभाग द्वारा जारी पत्रों की निरन्तरता में एवं दिनांक 6.12.2012 को माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई विडियो कान्फ्रेसिंग में दिये निर्देशों को समाहित करते हुए वर्तमान राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 13.12.2012 को सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

कृपया पालना सुनिश्चित करें।

1. जिले के प्रभारी मंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे एवं स्थानीय सांसद (लोकसभा) कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगें।
2. मा. सांसद (राज्यसभा), मा. विधायक, जिला प्रमुख, जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के अध्यक्षा तथा जिले के 20 सूत्री कार्यक्रम के मनोनीत उपाध्यक्ष एवं जिले से विभिन्न बोर्ड, निगम, आयोग में केबीनेट/राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त महानुभाव विशिष्ठ अतिथि होंगे।
3. भरतपुर, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ, बीकानेर, चितौडगढ एवं उदयपुर जिलों से निर्वाचित मा. संसदीय सचिवगण अपने निर्वाचन के जिलों में उक्त कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि होंगे।
4. जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन मा. प्रभारी मंत्री करेंगे।
5. जिले के सम्पूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन/संचालन के नॉडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।
6. समारोह में सभी माननीय सांसद (लोकसभा–राज्यसभा)/विधायकगण तथा पंचायती राज संस्थाओं के जिला प्रमुख/प्रधान/सरपंच जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्य/वार्ड पंच तथा स्थानीय निकाय के मेयर/अध्यक्ष/पार्षद को आमंत्रित किया जाना है।
7. कार्यक्रम का डायस प्लान प्रोटोकॉल के अनुरुप तय किया जावेगा।
8. जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन मा. प्रभारी मंत्री करेंगे।
9. जिला कलेक्टर कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का प्रारुप माननीय प्रभारी मंत्री से अनुमोदित कराकर छपवाना/वितरण सुनिश्चित करें।
10. कार्यक्रम स्थल पर पेयजल चिकित्सा सुविधा आपदा प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
11. कार्यक्रम के संभागियों के लिए गुणवत्तापूर्ण लंच पैकेट उपलब्ध कराने का प्रबन्ध करना है।

12. समारोह स्थल पर विद्यार्थियों को लैपटोप, छात्राओं को साईकिल, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के स्वीकृति पत्र एवं श्रमिकों को साईकिल क्रय वाउचर उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समय रहते की जाये।

13. टेन्ट, भोजन व्यवस्था इत्यादि को बजट जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराया जावेगा।

14. किसी भी बिन्दु पर जिले की कोई शंका हो तो सामान्य प्रशासन विभाग से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

(चन्द्र मोहन मीना)
प्रमुख शासन सचिव